कार्यालय नगर पालिका परिषद, सरधना (मेरठ)

पत्रांक :- 867 / न0पा0परि0–स0 / बो0बै0का0कार्यवृत्त / 2025–26 दिनांक :– 27.09.2025

सेवा में,

आयुक्त महोदय
मेरठ मण्डल, मेरठ।

द्वारा :– **जिला मजिस्ट्रेट**
मेरठ।

विषय :– नगर पालिका परिषद सरधना (मेरठ) की आहूत बोर्ड बैठक दिनांक 15.09.2025 के द्वारा पारित संकल्प की सूचना संबंधी।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, अवगत कराना है कि पालिका पत्रांक 41 दिनांक 11.09.2025 द्वारा इस निकाय में दिनांक 15.09.2025 को पालिका सभागार में अध्यक्ष नगर पालिका परिषद सरधना द्वारा बोर्ड बैठक आहूत करने के लिए एजेण्डा प्रेषित किया गया था **(संलग्न आहूत बोर्ड बैठक का एजेण्डा सूचना)।**

तदानुसार बोर्ड द्वारा दिनांक 15.09.2025 को बोर्ड बैठक में एजेंण्डा बिन्दुओं के सापेक्ष पारित संकल्प प्रस्ताव आपकी सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद,
सरधना (मेरठ)

अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद,
सरधना (मेरठ)

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक महोदय, स्थानीय निकाय निदेशालय, सेक्टर–7 गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ।
2. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) महोदय, मेरठ।
3. उप जिलाधिकारी महोदय, मेरठ।
4. प्रधान लिपिक को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त बोर्ड बैठक के पारित संकल्प की प्रति पालिका के सूचना पट पर चस्पा व पालिका की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद,
सरधना (मेरठ)

Scanned with OKEN Scanner

आज दिनांक 15.09.2025 को प्रातः 11:00 बजे नगर पालिका परिषद सरधना के सभागार में श्रीमती सबीला बेगम अध्यक्ष नगर पालिका परिषद, सरधना की अध्यक्षता में बोर्ड बैठक प्रारम्भ हुई, जिसमें निम्नवत् उपस्थिति रही–

	श्रीमती सबीला बेगम,	अध्यक्ष,
1	श्री अतुल प्रधान	मा0 विधायक / पदेन सदस्य
2	श्रीमती अंजली	सदस्य,
3	श्री वीर सिंह भाटी	सदस्य,
4	श्री मुकेश	सदस्य,
5	श्रीमति तनिका जैन	सदस्य,
6	श्रीमती शगुफ्ता	सदस्य,
7	श्री संजय कुमार	सदस्य,
8	श्री शानू जैन	सदस्य,
9	श्रीमती नेहा जैन उर्फ नेहा टाली	सदस्य,
10	श्री राहुल	सदस्य,
11	श्री शकील	सदस्य,
12	श्रीमती दानिस्ता	सदस्य,
13	श्री शहजाद	सदस्य,
14	श्री शाहिद	सदस्य,
15	श्री मोहम्मद खालिद	सदस्य,
16	श्रीमती फिरदौस	सदस्य,
17	श्रीमती राहत परवीन	सदस्य,
18	श्री फरमान	सदस्य,
19	श्री सलीम	सदस्य,
20	श्री मन्नान	सदस्य,
21	श्री आशीष त्यागी	सदस्य,
22	श्री तारिक हसन	सदस्य,
23	श्री इमरान	सदस्य,

प्रस्ताव संख्या 1 :– गत बैठक की पुष्टि	सदन के समक्ष गत बैठक की कार्यवाही को पढ़कर सुनाया गया, जिस पर सदन द्वारा सर्वसम्मति से गत बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की गयी ।
प्रस्ताव संख्या 2 :– वार्षिक ठेकाजात में ठेका साप्ताहिक पैंठ व ठेका विज्ञापन की नीलामी की बार–बार कार्यवाही करने पर नीलामी न होने से उक्त ठेका नीलामी की शर्तो में यथा आवश्यक संशोधन कर नीलामी की कार्यवाही करने पर विचार एवं आदेश बोर्ड ।	सदन में चर्चा उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पालिका की शर्तो व निर्धारित सरकारी बोली के क्रम में बार–बार ठेका साप्ताहिक पैंठ की नीलामी की कार्यवाही न होने पर वर्तमान में पूर्व ठेकेदार को जो गत वर्ष की दर अनुसार ठेका वसूलने हेतु अधिकृत किया गया है उसे निरस्त करते हुए वर्तमान में पूर्व निर्धारित पैठ स्थल मौहल्ला भूलरिया की दुकानो का स्थल व शहीद द्वार से देसी शराब के ठेके तक के स्थल पर ठेके की निर्धारित दरो अनुसार ही पालिका कर्मचारियों से ठेका साप्ताहिक वसूली कराई जाये तथा ठेका विज्ञापन के संबंध में चर्चा उपरान्त निर्णय लिया गया कि ठेका विज्ञापन की कार्यवाही को बार–बार करने के बाद तथा गतवर्षो में भी इसी प्रकार कार्यवाही के बाद भी ठेका विज्ञापन का ठेका न होने पर पालिका द्वारा निर्धारित शर्तो में सरकारी बोली को अंकन 50,000 रू0 व धरोहर

Scanned with OKEN Scanner

	धनराशि को अंकन 30,000 रू0 निर्धारित कर ठेका विज्ञापन की कार्यवाही की जाये। उक्तानुसार कार्यवाही के लिए सर्वसम्मति से अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी को अधिकृत किया गया।
प्रस्ताव संख्या 3 :– नगर पालिका परिषद सरधना को आदर्श नगर पालिका में चयनित कराने के लिए यथा आवश्यक कार्यवाही करने पर विचार एवं आदेश बोर्ड।	सदन में नगर पालिका परिषद सरधना को आदर्श नगर पालिका में चयनित कराने के लिए यथा आवश्यक कार्यवाही के लिए चर्चा की गयी, जिस पर सदन में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि नगर पालिका परिषद सरधना को आदर्शनगर पालिका में चयनित करने हेतु जो भी कार्यवाही की जानी है उस कार्यवाही के लिए सर्वसम्मति से अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी को अधिकृत किया गया। उक्त प्रस्ताव पर मा0 विधायक श्री अतुल प्रधान जी द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि मेरे स्तर से भी इसमें जो भी कार्यवाही की जानी है वह कार्यालय द्वारा अवगत करा दिया जाये ताकि उसमें शासन/प्रशासन स्तर पर सम्पर्क कर नगर पालिका परिषद सरधना को आदर्श नगर पालिका घोषित कराने की कार्यवाही की जा सके।
प्रस्ताव संख्या 4 :– अन्त्येष्टि स्थलों पर कार्य कराने हेतु शासन को डी0पी0आर0 प्रेषित करने हेतु यथा आवश्यक कार्यवाही करने पर विचार एवं आदेश बोर्ड।	सदन में चर्चा उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि नगर पालिका परिषद सरधना में दौराला रोड पर शमशान में दीवार व अन्य कार्य को कराने व नगर की सीमा व नगर की सीमा से लगे हुए अन्त्येष्टि स्थल जिनका प्रयोग नगर की जनता द्वारा शवदाह के लिए किया जाता है ऐसे अन्त्येष्टि स्थलों को चिन्हिंत करते हुए अन्त्येष्टि स्थलों पर कार्य कराने के लिए शासन को डी0पी0आर0 प्रेषित की जाये। उक्तानुसार अन्त्येष्टि स्थलों को चिन्हिंत करते हुए उनमें कार्य कराने के लिए शासन को डी0पी0आर0 प्रेषित करने की कार्यवाही करते हुए शासन से धनराशि स्वीकृत होने पर अन्त्येष्टि स्थल पर निर्माण कार्य कराने निविदा आमंत्रण करने की कार्यवाही के लिए सर्वसम्मति से अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी को अधिकृत किया गया।
प्रस्ताव संख्या 5 :– नगर सड़क सुधार योजना के अन्तर्गत शासन को डी0पी0आर0 प्रेषित करने हेतु यथा आवश्यक कार्यवाही करने पर विचार एवं आदेश बोर्ड।	सदन में नगर सड़क सुधार योजना के अन्तर्गत शासन को डी0पी0आर0 प्रेषित करने के लिए चर्चा की गयी। चर्चा के दौरान नगर सड़क सुधार योजना के अन्तर्गत सर्वप्रथम नगर के मुख्य मार्गों जिनका निर्माण धनराशि के अभाव में नहीं हो पा रहा है को चिन्हिंत करते हुए उन पर निर्माण कार्य कराने के लिए शासन को नगर सड़क सुधार योजना के अन्तर्गत शासन से धनराशि प्राप्त करने की कार्यवाही के लिए सर्वसम्मति से सड़कों को चिन्हिंत करने व डी0पी0आर0 बनाते हुए शासन को डी0पी0आर0 प्रेषित करते हुए शासन से धनराशि प्राप्त होने पर निविदा आदि की कार्यवाही के लिए सर्वसम्मति से अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी को अधिकृत किया गया।
प्रस्ताव संख्या 6 :– नगरीय ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन तथा स्वच्छता उपविधि के अन्तर्गत यूजर चार्ज निर्धारित करते हुए उपविधि तैयार करने पर विचार एवं आदेश बोर्ड।	सदन में नगरीय ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन तथा स्वच्छता उपविधि के अन्तर्गत यूजर चार्ज निर्धारण करने पर चर्चा की गयी, जिसमें सदन द्वारा सर्वसम्मति से वर्तमान में यूजर चार्ज निर्धारित कर कोई कार्यवाही न की जाये का प्रस्ताव स्वीकृत

Scanned with OKEN Scanner

	किया गया, केवल नगरीय ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन तथा स्वच्छता उपविधि में खुले में कूड़ा डालने आदि के लिए यथोचित जुर्माना वसूल करने की कार्यवाही की जाये। उक्त प्रस्ताव अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन तथा स्वच्छता उपविधि में यथोचित जुर्माना निर्धारित करते हुए पालिका स्तर से उक्त उपविधि अनुसार कार्यवाही करने के लिए प्रस्ताव स्वीकृत कर उक्तानुसार कार्यवाही के लिए सर्वसम्मति से अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी को अधिकृत किया गया ।
प्रस्ताव संख्या 7 अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से	
प्रस्ताव संख्या 7 (1) :– पालिका द्वारा स्वःकर निर्धारण की दरों के संबंध में कर आरोपण करने पर विचार एवं आदेश बोर्ड।	सदन में श्री शहजाद सितारा सदस्य के स्वंकर प्रणाली के बोर्ड द्वारा निर्धारित दरे जो पास की गयी थी,उक्त निर्धारित दरो का प्रस्ताव शासन के समक्ष प्रेषित किया गया था,जब तक शासन द्वारा उक्त प्रस्ताव में कार्यवाही का कोई आदेश प्राप्त नही होता है तब तक गत उजरदारी अनुसार ही ग्रहकर/जलकर व जलमूल्य की वसूली कराई जाये तथा वसूल की गयी धनराशि से विकास कार्य कराये जाये को पढकर सुनाया गया जिसमें सदन में चर्चा होते हुए चर्चा में पालिका द्वारा पूर्व में तत्कालीन अधिशासी अधिकारी द्वारा निर्धारित स्वःकर के मासिक किराया दर के संबंध में बोर्ड बैठक दिनांक 07.03.2025 के विशेष संकल्प प्रस्ताव द्वारा स्वःकर प्रणाली की मौहल्लेवार करों की दर प्रति वर्ग फिट भवन निर्माण की प्रकृति के अनुसार निर्धारित की गयी मासिक किराया दरों के संबंध में विशेष संकल्प द्वारा प्रस्तावित निर्धारित दरों पर पालिका द्वारा क्या–क्या कार्यवाही की गयी है से सदन को अवगत कराने को कहा गया, जिस पर सदन को अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अधिशासी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि उपरोक्त बोर्ड बैठक दिनांक 07.03.2025 के विशेष संकल्प द्वारा प्रस्तावित मासिक किराया दरों के प्रस्ताव को संलग्न कर पालिका पत्रांक 06, दिनांक 5 अगस्त 2025 के द्वारा अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)/प्रभारी अधिकारी, स्थानीय निकाय, मेरठ को निर्धारित मासिक किराया दर के अनुसार स्वःकर की दरों को लागू करने व तत्कालीन अधिशासी अधिकारी द्वारा पूर्व निर्धारित दरों अनुसार की गयी कार्यवाही को रोकने हेतु यथा आवश्यक निर्देश के लिए अध्यक्ष नगर पालिका सरधना द्वारा पत्र लिखा गया था, जिस पर अपर जिलाधिकारी महोदय, मेरठ के कार्यालय पत्रांक 33/एल0बी0सी0–21/न.पा.परि. सरधना/2025–26 दिनांक 07.08.2025 के द्वारा अधिशासी अधिकारी को प्रकरण में अपने स्तर से नियमानुसार यथोचित कार्यवाही कराने हेतु निर्देशित किया गया है, उक्त उपरांत तत्कालीन अधिशासी अधिकारी द्वारा पूर्व निर्धारित मासिक किराया दर व विशेष संकल्प द्वारा निर्धारित मासिक किराया दरों का विस्तृत उल्लेख करते हुए अध्यक्ष नगर पालिका परिषद सरधना द्वारा तत्कालीन अधिशासी अधिकारी द्वारा निर्धारित मासिक किराया दरों के अनुसार कर निर्धारण की गयी कार्यवाही को रोकने व बोर्ड बैठक दिनांक 07.03.2025 के विशेष संकल्प द्वारा निर्धारित मासिक किराया दर को लागू

Shabibp

Scanned with OKEN Scanner

करने की स्वीकृति हेतु प्रमुख सचिव नगर विकास अनुभाग–9 बापू भवन, लखनऊ को पत्रांक 34/न0पा0परि0–सं0/2025–26 दिनांक 20 अगस्त 2025 के द्वारा पत्र प्रेषित किया गया है, जिस पर अभी शासन स्तर से कोई प्रति उत्तर प्राप्त नही हुआ है, जिस पर सदन में चर्चा उपरांत तत्कालीन अधिशासी अधिकारी द्वारा पूर्व में निर्धारित मासिक किराया दरों के सापेक्ष कर निर्धारण की कार्यवाही पर नगर में आम जन सामान्य व व्यापार संगठनो द्वारा बार–बार किये जा रहे विरोध प्रदर्शन व आज पर्यन्त भी पूर्व में निर्धारित दरों के सापेक्ष करदाताओं द्वारा कर जमा न कराने को दृष्टिगत रखते हुए पालिका हित में यह निर्णय लिया गया कि तत्कालीन अधिशासी अधिकारी द्वारा तत्समय पालिका द्वारा जो स्वःकर हेतु दरें निर्धारित करते पूर्व में जो आपत्ति आम जनसामान्य से मॉगी गयी थी, जिसमें कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई का उल्लेख करते हुए पालिका पत्रांक 905 दिनांक 20.01.2025 को उ0प्र0 नगर पालिका (भवन या भूमि दोनो के वार्षिक मूल्य पर कर) नियमावली 2024 के अनुसार मासिक दर किराया को अंतिम रूप से प्रकाशित करते हुए कर निर्धारण सूची तैयार करायी गयी थी, ऐसी समस्त प्रक्रिया को स्थगित करते हुए पूर्व बोर्ड बैठक दिनांक 07.03.2025 के विशेष संकल्प के द्वारा प्रस्तावित मासिक किराया दर निम्नानुसार–

सड़क की चौडाई मीटर में	आर.सी.सी./आर.बी.सी.	अन्य पक्का	कच्चा	रिक्त भूमि
24 मी से अधिक	1.10	0.80	0.70	0.25
12–24 मी0 अधिक	0.80	0.70	0.60	0.20
9–12 मी0	0.60	0.50	0.40	0.12
9 मी0 तक	0.50	0.40	0.30	0.10

स्वःकर हेतु निर्धारित करते हुए अन्य कार्यवाही उ0प्र0 नगर पालिका (भवन या भूमि दोनो के वार्षिक मूल्य पर कर) नियमावली 2024 में उल्लिखित अनुसूची में अनावासिक भवन की मासिक किराया दर उल्लिखित दरों के अनुसार लेने का निर्णय लेते हुए उपरोक्त निर्धारित मासिक किराया दर को अंतिम रूप से समाचार पत्रों में प्रकाशित कराकर उक्त पर ही कर निर्धारण सूची तैयार करते हुए वसूली की कार्यवाही करने हेतु प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत करते हुए उक्तानुसार कार्यवाही के लिए अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी को अधिकृत किया गया।

प्रस्ताव संख्या 7 (2) :–

श्री संजय, सदस्य द्वारा सदन के समक्ष दिये गये पत्र पर विचार एवं आदेश बोर्ड ।

सदन के समक्ष श्री संजय, सदस्य द्वारा दिये गये पत्र को पढ़कर सुनाया गया कि मेला बूढा बाबू 2024 में रागिनी कार्यक्रम दिनांक 10.07.2024 को नगर पालिका द्वारा कराया गया था उक्त कार्यक्रम को कराने का दायित्व समिति को दिया गया था। उक्त कार्यक्रम का भुगतान रागिनी कमेटी को मेरे द्वारा किया गया किन्तु उक्त कार्यक्रम का भुगतान पालिका द्वारा अभी तक नहीं किया गया संज्ञान में आया है। उक्त कार्यक्रम की पत्रावली में उक्त कार्यक्रम को कराने हेतु पूर्व अधिशासी अधिकारी महोदय के हस्ताक्षर अंकित नहीं हो पाये थे जबकि उक्त कार्यक्रम को कराने हेतु टैन्ट व्यवस्था, साउण्ड व्यवस्था, आदि आदि सभी पत्रावलियों पर तत्कालीन अधिशासी अधिकारी के हस्ताक्षर अंकित है उक्त कार्यक्रम की

Scanned with OKEN Scanner

	समस्त औपचारिकताओं को तत्काल पूर्ण कराकर अविलम्ब भुगतान करने की कृपा करे, जिस पर चर्चा उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त में पूर्व बोर्ड बैठक में भी संबंधित कार्यक्रम का भुगतान कराने हेतु सहमति बनी थी, जिस पर बैठक में उपस्थित मा० विधायक जी द्वारा सदन में कहा गया कि कार्यकम समिति के सदस्य उच्चाधिकारियों से वार्ता करने हेतु मेरे द्वारा चलेंगे। उच्चाधिकारियों से पालिका कार्यालय को निर्देश प्राप्त कराने उपरान्त भुगतान की कार्यवाही करने पर सहमति बनी।
प्रस्ताव संख्या 7 (3) :– ठेकेदारो के द्वारा समय से कार्य सम्पादित न करने पर विलम्ब शुल्क के अधिरोपण पर विचार एवं आदेश बोर्ड ।	सदन के समक्ष ठेकेदारों के द्वारा कार्य समय से सम्पादित न करने पर पूर्व में निर्माण कार्यो की निविदा विज्ञप्ति में विलम्ब शुल्क में प्रतिदिन की दर से धनराशि अंकित कर निविदा की कार्यवाही की गयी है किन्तु गठित अनुबंध में किसी भी तरह के विलम्ब शुल्क का प्रावधान न करने के कारण ठेकेदारो के बिलों से विलम्ब शुल्क की कटौती नही हो पा रही है, इस कारण कई वित्तीय वर्षो में सम्परीक्षा में सम्परीक्षक महोदय द्वारा आपत्ति भी अंकित की गयी है, आपत्ति के कंम में ठेकेदार एसोसिएशन के पत्र में उल्लिखित मांग अनुसार कि "गत वर्षो में ठेकेदारों से राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि से बहुत अधिक निर्माण कार्य विभाग द्वारा करा लिये गये थे उन कार्यों का भुगतान ठेकेदारों को समय से नही पाया था अन्य वित्त के अन्तर्गत पैसा उपलब्ध होने पर भी निर्माण कार्यों के वर्कआर्डर बरसात में जारी किये गये थे बरसात के मौसम में खदानों में पानी भरने से मिटटी समय से नहीं मिल पायी जिस कारण भराव कार्य नहीं हो पाये मिटटी भराव न हो पाने साईट क्लियर न हो पाने, साईट पर विवाद होने, साईट पर नालियों के विवाद होने के कारण निर्माण कार्य समय से सम्पादित नहीं हो पाये है अतः आपसे नम्र निवेदन है कि ठेकेदारों पर लगाये गये अर्थ दण्ड को समाप्त करने का कष्ट करें"। उक्त पर चर्चा उपरांत सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि पालिका में तत्समय राज्य वित्त आयोग/पालिका निधि में उपलब्ध धनराशि से अधिक के कार्य कराने के कारण व पूर्व में गठित अनुबंध में विलम्ब शुल्क का कोई प्राविधान न करने के कारण सम्परीक्षक महोदय द्वारा आपत्तियो के कंम में विलम्ब शुल्क वसूल किया जाना नियमानुसार सही नही है, जिस कंम में ऐसे विलम्ब शुल्क को वसूलने हेतु कोई कार्यवाही न करते हुए वर्तमान में प्रस्ताव स्वीकृत किया गया कि आगामी जो भी निविदा इस प्रस्ताव के बाद आमंत्रित व स्वीकृत होगी उसमें यदि किसी कार्य में कोई निर्माण स्थल पर कार्य करने के दौरान विलम्ब का कोई ठोस साक्ष्य ठेकेदार द्वारा दिया जाता है तो उस कार्य की समयावधि विस्तारित की जायेगी, बिना किसी ठोस कारण के निर्माण कार्य समय से सम्पादित न करने पर ठेकेदारो के निर्माण बिलों मे 10 लाख रूपये की निविदा आगंणन पर 50/–रूपये प्रतिदिन व 10 लाख से 20 लाख रूपये की निविदा आगंणन पर 100/–रूपये प्रतिदिन व 20 लाख से अधिक निविदा आंगणन पर 200/–रूपये प्रतिदिन विलम्ब शुल्क वसूलने हेतु अनुबंध में प्राविधान कर विलम्ब शुल्क संबंधित ठेकेदार के बिल से कटौती करते हुए भुगतान

Shelilo

Scanned with OKEN Scanner

	करने हेतु सर्वसम्मति से प्रस्ताव स्वीकृत किया गया, इसके अतिरिक्त यदि कोई ठेकेदार विलम्ब शुल्क अधिरोपित करने के बाद भी विलम्ब से कार्य करने की प्रवृत्ति जारी रखता है तो ऐसे ठेकेदार को पालिका की काली सूची में पंजीकृत किया जाये, उक्तनुसार कार्यवाही के लिए सर्व सम्मति से अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी को अधिकृत किया गया ।
प्रस्ताव संख्या 7 (4) :– फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन की दरों पर विचार एवं आदेश बोर्ड ।	फीकल स्लज एवं सैप्टज प्रबंधन में तैयार की गयी उपविधि में पंजीकरण दरें व फीकल स्लज निकासी और सैप्टेज ढुलाई के लिए उपयोगकर्ता शुल्क व जुर्माना वसूलने की दरों पर चर्चा हुई। चर्चा के दौरान निजी ऑपरेटरों के पंजीकरण हेतु अंकन 2000 रू0 प्रतिवर्ष वैधता पंजीकरण के लिए शुल्क निर्धारित किया गया तथा उक्त के प्रतिवर्ष लाईसेन्स नवीनीकरण हेतु अंकन 1000 रू0 निर्धारित करने के साथ–साथ आवासीय, व्यवसायिक, सरकारी स्कूल आदि पर उपयोगकर्ता शुल्क व जुर्माना शुल्क निर्धारण करने के लिए व उक्त उपविधि लागू करने की अग्रिम कार्यवाही करने के लिए सर्वसम्मति से अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी को अधिकृत किया गया।
प्रस्ताव संख्या 7 (5) :– गोमतीनगर की पुलिया से गुलाब मैडिकल स्टोर के पास तक सी0सी0 रोड एवं साईड पटरी पर इण्टरलॉकिंग टाईल्स व नाली का निर्माण कार्य की आमंत्रित निविदा अनुसार कार्य कराने पर विचार एंव आदेश बोर्ड।	श्री मौहम्मद खालिद, सदस्य द्वारा दिये गये पत्र को सदन के समक्ष स्वयं पढ़ा गया, जिसमें उनके द्वारा गोमतीनगर से दौराला रोड तक आर0सी0सी0 नाले का निर्माण कार्य व गोमतीनगर के बराबर वाली सड़क सी0सी0 निर्माण व गलियों की नाली पर चैनल लगाने के प्रस्ताव के साथ–साथ गोमतीनगर के गेट से गुलाब मैडिकल स्टोर तक सडक सही है इसका टेण्डर केन्सिल किया जाये इसे केन्सिल करने हेतु पूर्व में प्रार्थना पत्र दे चुका हूं, इस सडक को केन्सिल कर उस पैसे से मेरे वार्ड में खराब सड़के व नाली बनायी जायें, जिस पर सदन में चर्चा हुई। चर्चा के दौरान सदन को अवगत कराया गया कि टाउलहाल रोड नीची पड़ जाने व जगह–जगह से क्षतिग्रस्त हो जाने व बूंदा–बांदी में भी जलभराव को दृष्टिगत रखते हुए गोमतीनगर की पुलिया से गुलाब मैडिकल स्टोर के पास तक सी0सी0 रोड एवं साईड पटरी पर इण्टरलॉकिंग टाईल्स व नाली का निर्माण कार्य 15 वॉ वित्त आयोग के अर्न्तगत प्राप्त धनराशि से कार्य कराने हेतु जिलाधिकारी महोदय, मेरठ को अन्य कार्यों के साथ–साथ उक्त कार्य भी स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया था। उक्त कार्य के साथ–साथ अन्य प्रस्तावित किये गये कार्यों की जिलाधिकारी महोदय, मेरठ से प्राप्त स्वीकृति के कम में निविदा आमंत्रण की कार्यवाही की जा चुकी है। सदन में उक्त कार्य के विषय में सभी सदस्यों द्वारा उक्त कार्य जगह–जगह से क्षतिग्रस्त होने व जरा सी बूंदा बादी में जलभराव होने के कारण उक्त प्रस्तावित कार्य को सही माना गया तथा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त कार्य जनहित में कराया जाना आवश्यक है, जिस कम में उक्त कार्य निविदा अनुसार निर्गत कार्यादेश के कम में संबंधित ठेकेदार से सम्पादित करा लिया जाये। इसके अतिरिक्त श्री मोहम्मद खालिद, सदस्य के उक्त पत्र में उनके द्वारा उनके वार्ड में अति आवश्यक कार्य को चिन्हिंत करते हुए धनराशि

Shahila

Scanned with OKEN Scanner

	की उपलब्धता के आधार पर कार्य कराने हेतु सहमति बनी, उक्तानुसार कार्यवाही के लिए सर्व सम्मति से अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी को अधिकृत किया गया ।
प्रस्ताव संख्या 7 (6) :– दौराला रोड व मेरठ रोड पर पालिका सीमा क्षेत्र से बाहर लगी पोल सहित अधिष्ठापित लाईटों को हटवाये जाने पर विचार एवं आदेश बोर्ड ।	श्री मोहम्मद खालिद सदस्य द्वारा सदन में दौराला रोड पर व मेरठ रोड पर कुछ लाईट व खम्बे लगवाये गये थे जिससे के राहगीरों को आने जाने में प्रकाश व्यवस्था मिल सके लेकिन कुछ लोगों को इस पर आपत्ति है कि वह सरधना सीमा क्षेत्र से बाहर लगाये गये है ऐसे खम्बों को वहां से हटाकर टाउनहाल रोड तहसील रोड अशोक स्तम्ब व कब्रिस्तान व अन्त्येष्टि स्थलों पर लगवाकर विवाद को समाप्त करने व प्रकाश व्यवस्था सुचारू बनी रहे के लिए प्रस्ताव रखा गया जिस पर सदन में चर्चा हुई चर्चा उपरान्त गत बोर्ड द्वारा दौराला रोड पर दौराला गंगनहर रोड की ओर जाने वाले रास्ते सिंचाई विभाग की माईनर पुलिया से दौराला गंग नहर पुल तक डार्क जोन व गंगनहर पर गणेश विर्सजन, दुर्गा विर्सजन, कांवड यात्रा व शिव मंदिर पर आने जाने वाले नागरिकों व उक्त मार्ग मुख्य रूप से सरधना के मुख्य प्रवेश मार्ग से जुडता है तथा इसी प्रकार मेरठ रोड जो कि मुख्य प्रवेश मार्ग से जुडता है जिस पर तत्सयम डार्क जोन होने के कारण पेाल सहित विधुत लाईटे जनहित में अधिष्ठापित कराई गयी थी, नगर की जनता व उपरोक्त धर्मिक यात्राओ को दृष्टिगत रखते हुए पालिका द्वारा पूर्व में उपरोक्त स्थलों पर डार्क जोन में अधिष्ठापित करायी गयी लाईटों को हटाये जाने पर पालिका की धनराशि व्यय होगी, जिसको दृष्टिगत रखते हुए उक्त स्थल से अधिष्ठाापित पोल सहित लाईटो से प्रकाश व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में न हटाया जाये।
प्रस्ताव संख्या 7 (7) :– नगर की सीमा वृद्धि में नगर से लगे ग्रामों को जोड़ने पर विचार एवं आदेश बोर्ड ।	सदन में नगर की सीमा वृद्धि पर चल रही कार्यवाही पर चर्चा हुई, जिसमें सदन द्वारा निर्णय लिया गया कि पालिका द्वारा सीमा क्षेत्र में प्रस्तावित ग्रामों के साथ–साथ मेरठ रोड से करनाल रोड पर नानू ग्राम मोड़ तक पालिका सीमा वृद्धि में सीमा शामिल की जाये व इसी प्रकार बिनौली मार्ग पर पालिका सीमा से ग्राम भूनी चौराहे तक के ग्राम व सरधना नगर की सीमा से ग्राम नंगला तक को भी सीमा में सम्मिलित करते हुए संशोधित प्रस्ताव शासन को सीमा वृद्धि हेतु प्रेषित किया जाये। उक्तानुसार कार्यवाही के लिए सर्वसम्मति से अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी को अधिकृत किया गया।
प्रस्ताव संख्या 7 (8) :– नगर पालिका परिषद सरधना के वादों की प्रभावी पैरवी हेतु एक योग्य अधिवक्ता पैनल पर रखने हेतु विचार एवं आदेश बोर्ड ।	सदन में श्री शाहिद मलिक, सदस्य द्वारा इस आशय का प्रस्ताव दिया गया कि नगर पालिका अधिकांश मुकदमें के पैरवी अधिवक्ता द्वारा ठोस पैरवी न करने के कारण हार जाती है अथवा विपक्षीगणों को स्थगनादेश प्राप्त हो जाता है जब इस संबंध में पालिका अधिवक्ता से वार्ता की जाती है तो संबंधित अधिक्ता संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाते है। जिससे स्पष्ट है कि संबंधित अधिवक्ताओं द्वारा मा0 न्यायालय में वाद योजित करते समय अपना कोई ठोस लिखित पक्ष तेयार करते हुए वाद योजित नहीं किया जाता है। पालिका

Shahid

Scanned with OKEN Scanner

	अधिवक्ताओं के कार्यों का विधिक मूल्यांकन हेतु एक योग्य अधिवक्ता जो पालिकपा अधिवक्ताओं द्वारा तैयार किये गये प्रतिउत्तर आदि की समीक्षा कर सके नियुक्त करने हेतु मांग की गयी है जिस पर सदन में चर्चा उपरान्त पूर्व बोर्ड बैठकों में भी पालिका के अधिवक्ताओं द्वारा ठोस पैरवी न करने के कारण पालिका मुकदमें हार रही है अथवा विपक्षीगणों को स्थगनादेश मिल रहे है ऐसे वकीलों को चिन्हिंत करते हुए पालिका अधिवक्ता पैनल से हटाने हेतु प्रस्ताव किया गया है। वर्तमान में श्री शाहिद सदस्य के प्रस्ताव के कम में सर्वसम्मति से पालिका पैनल में नियुक्त अधिवक्ताओं द्वारा मुकदमा दर्ज करने से पूर्व प्रतिउत्तर व दायर मुकदमे में अधिवक्ता द्वारा की जा रही पैरवी की विधिक पर्यवेक्षण हेतु एक योग्य अधिवक्ता जिसका कार्य पालिका अधिवक्ताओं के प्रतिउत्तर व वादों में विधिक रूप से की गयी प्रकिया की विधिक जानकारी प्राप्त करते हुए पालिका के अधिकारियों को बताकर सही विधिक पक्ष तैयार कराते हुए पालिका मुकदमों मे पालिका अधिवक्ताओं से प्रभावी पैरवी करा सके एक योग्य अधिवक्ता उचित पारिश्रमिक पर नियुक्त करने हेतु निर्णय लेते हुए उक्तानुसार कार्यवाही के लिए सर्वसम्मति से अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी को अधिकृत किया गया।
<u>प्रस्ताव संख्या 7 (9) :-</u> जनसुनवाई पोर्टल पर की गयी सड़क निर्माण आदि की मांग पर कार्य कराने पर विचार एवं आदेश बोर्ड ।	सदन के समक्ष जनसुनवाई पोर्टल पर की गयी मांग के क्रम में जनसुनवाई पोर्टल पर वार्ड 11 में सड़क व नाली निर्माण की मांग हेतु श्री मोहित आदि द्वारा मांग व वार्ड 11 में श्री संजीव शर्मा द्वारा लश्करगंज में श्री संजीव शर्मा की दुकान से संजय ज्वैलर्स की दुकान तक लगी टाईलों की मरम्मत तथा वार्ड 9 में अभिनव जैन द्वारा के0के0 पब्लिक स्कूल मुख्य बाजार की सडक की मरम्मत कराने व विनोद कुमार द्वारा मौ0 छावनी बाडा में विनोद के घर के सामने रास्ते का निर्माण कराने के प्रार्थना पत्र दिये गये थे, जिनका निस्तारण करते समय बोर्ड की स्वीकृति उपरान्त कार्य कराया जायेगा किया गया है, जिस पर बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि हम सदस्यों द्वारा भी अपने-अपने वार्डों में विकास कार्य कराने हेतु बार-बार बैठकों में प्रस्ताव दिये जा रहे है किन्तु नगर पालिका में धन अभाव के कारण कार्य कराने हेतु निविदा आमंत्रित नहीं होती है ऐसी स्थिति में जनसुनवाई पोर्टल के माध्यम से की गयी मांग के क्रम में यदि कार्य कराया जाना बहुत ही आवश्यक है तो उसको दृष्टिगत रखते हुए वार्ड सदस्य का भी इस प्रकार से सम्मान बना रहे कि वार्ड सदस्य के प्रस्ताव या कहने पर कार्य नहीं हुआ है अपितु शिकायत के कम में आवेदक द्वारा कार्य करा लिया गया है इस तरह की बातों से बचने के लिए आवेदनकर्ता से वार्ड सदस्य का लिखित सहमति पत्र भी लेते हुए आंगणन बनवाकर कार्य कराने पर सहमति बनी। उक्तानुसार कार्यवाही के लिए सर्वसम्मति से अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी को अधिकृत किया गया।
<u>प्रस्ताव संख्या 7 (10) :-</u> नगर पालिका में खराब पड़ी लाईटों की मरम्मत कराने पर विचार एवं आदेश बोर्ड ।	सदन में पथप्रकाश व्यवस्था की सुचारूता हेतु चर्चा हुई चर्चा के दौरान नगर पालिका परिषद सरधना के सभी वार्डों में पथप्रकाश सुचारू बनाये रखने के लिए आवश्यकतानुसार

Shahid

Scanned with OKEN Scanner

	लाईटें व विद्युत सामग्री व अन्य विद्युत उपकरण कय कर लिये जाये तथा जो लाईटें गारंटी से बाहर हो चुकी है उनकी रिपेयर हेतु पृथक से रख–रखाव सहित ठेका कर दिया जाये का प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ। उक्तानुसार कार्यवाही के लिए सर्वसम्मति से अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी को अधिकृत किया गया।
प्रस्ताव संख्या 7 (11) :– सीवरेज एवं जलनिकासी योजना के संबंध में स्वीकृत कार्यों के अनुमोदन पर विचार एवं आदेश बोर्ड ।	सदन को अवगत कराया गया कि नगर पालिका परिषद सरधना को शासनादेश संख्या 680/2025/नौ–5–2025/001– com No. 189720/नगर विकास अनुभाग–5 दिनांक 17 फरवरी 2025 के द्वरा निम्नानुसार नालों के निर्माण हेतु धनराशि प्राप्त हुई है– 1–नगर पालिका परिषद सरधना में राजसिंह सिमेन्ट एजेन्सी से कालन्द चुंगी तक आर0सी0सी0 नाला का निर्माण कार्य हे अंकन 36.47 लाख रू0 2– नगर पालिका परिषद सरधना में हाजी शहजाद के मकान से अम्बेडकर पार्क तक आर0सी0सी0 नाला का निर्माण कार्य हेतु अंकन 39.30 लाख रू0 3–नगर पालिका परिषद सरधना में कुशल कृषि सेवा केन्द्र से पेट्रोल पम्प तक आर0सी0सी0 नाला का निर्माण कार्य हेतु अंकन 37.11 लाख रू0 4–नगर पालिका परिषद सरधना में चौकी से सिंघल सर्विस सेन्टर तक आर0सी0सी0 नाला का निर्माण कार्य हेतु अंकन 36.23 लाख रू0 5–नगर पालिका परिषद सरधना में कालन्द चुंगी से बिनौली रोड तक आर0सी0सी0 नाला का निर्माण कार्य हेतु अंकन 36. 56 लाख रू0 6– नगर पालिका परिषद सरधना में कुमार पैलेस से तालाब के पास गोमतीनगर की पुलिया तक आर0सी0सी0 नाला का निर्माण कार्य हेतु अंकन 13.19 लाख रू0 उक्तानुसार सदन को अवगत कराया गया कि उक्त कार्यों की निविदा आमंत्रित कर ली गयी है, जिसमें कार्य संख्या 3 में अवर अभिंयता द्वारा त्रुटिवंश आगंणन पर अंकित निर्माण कार्य को शुद्ध करते हुए नगर पालिका परिषद सरधना में कुशल कृषि सेवा केन्द्र के सामने से पेट्रोल पम्प के सामने तक आर0सी0सी0 नाला का निर्माण कार्य कर दिया गया है,जिस पर सदन द्वारा सहर्ष उक्त नाला निर्माण कार्यों की आमंत्रित निविदा अनुसार अर्ह निविदाओं के सापेक्ष निर्गत कार्यादेश आदि कार्यवाही का अनुमोदन करते हुए उक्तानुसार स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्य करा कर भुगतान करने हेतु सर्वसम्मति से अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी को अधिकृत किया गया।
प्रस्ताव संख्या 7 (12) :– आउटसोर्सिंग पर श्री हातिम प्लम्बर व श्री नीतू ड्राईवर को पुनः रखने पर विचार एवं आदेश बोर्ड ।	सदन के समक्ष 21 सदस्यों के प्रस्ताव जिसमें उनके द्वारा उल्लिखित किया गया है कि श्री हातिम, प्लम्बर व श्री नीतू ड्राईवर को पूर्व में आउटसोर्सिंग सेवाओं से हटा दिया गया

Shahib

Scanned with OKEN Scanner

	था, किन्तु बाद में इन्हें सेवा में रख लिया गया था किन्तु दोनों ही कर्मचारी पालिका में 15–15 वर्ष लगभग पालिका में आउटसोर्सिंग सेवा में कार्य करते हुए हो गये है हमारे द्वारा पूर्व में जो पत्र दिया गया था जितने भी पालिका में नये कर्मचारी आउटसोर्सिंग में रखे है उनको हटाने के लिए पत्र हमारे द्वारा दिया गया था, जिसमे श्री हातिम, प्लम्बर व श्री नीतू ड्राईवर पूर्व से ईमानदारी व महनत से काम कर रहे है अतः श्री हातिम, प्लम्बर व श्री नीतू ड्राईवर को पुनः रख लिया जाये का निर्णय लिया गया।
प्रस्ताव संख्या 7 (13) :– बैकलॉग सफाई कर्मचारी, संविदा सफाई कर्मचारियों से पालिका में वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार पालिका कार्यालय में कार्य कराने पर विचार एवं आदेश बोर्ड ।	सदन के समक्ष 24 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित पत्र पर सदन में चर्चा हुई। उक्त पत्र में 24 सदस्यों द्वारा नगर पालिका परिषद सरधना द्वारा सरधना नगर की जन समस्याओं एवं पालिका द्वारा दी जाने वाली मौलिक सुविधाओं की सुचारूता के दृष्टिगत पालिका कार्यालय में पर्याप्त स्टाफ न होने और दो ही लिपिक होने के चलते लम्बे समय से कार्यरत योग्य, अनुभवी स्थाई/बैकलॉग/संविदा चतुर्थ श्रेणी एंव सफाई कर्मचारियों से भिन्न–भिन्न पटलों, कार्यालय सहायकों व कार्यवाहक सफाई नायक आदि के रूप में कार्य लिया जा रहा है। प्रायः देखने में आता है कि वाह्य नेता/जन प्रतिनिधि व्यक्ति आदि के द्वारा अपनी अनुचित मांगों को मनवाने व दबाव मनवाने की नियत से पालिका की व्यवस्था बाधित करते हुए उक्त कर्मचारियें को उनके मूल पद पर भेजने की मांग उठायी जाती है, जिससे महत्तवपूर्ण जनसेवाएं एवं पालिका पटलीय कार्य आदि प्रभावित होने की प्रबल आशंका बनी रहती है। अतः बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि जनसुविधा व शासन प्रशासन की योजनाओं के कियान्वयन हेतु जब तक शासन द्वारा पालिका सरधना में रिक्त पदों के सापेक्ष स्थाई भर्ती अथवा नियुक्ति नहीं की जाती तब तक निम्न कर्मचारियों से उनके नाम के सम्मुख लिखे गये दायित्वों पर कार्य लिया जाता रहेगा।

क्र0 सं0	कर्मचारी का नाम	पदनाम	कार्य
1	श्रीमती शिवानी शर्मा	स्थाई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अनुचर	अधिकृत गृहकर लिपिक
2	श्री विनोद कुमार यादव	बैकलॉग स्थाई सफाई कर्मचारी	अधिकृत स्टोर प्रकाश पटल इंचार्ज
3	श्री पारसनाथ यादव	बैकलॉग स्थाई सफाई कर्मचारी	कार्यालय सहायक नजूल लिपिक
4	श्री अमित कुमार	बैकलॉग स्थाई सफाई कर्मचारी	पालिका करों की वसूलीकर्ता
5	श्री उमेश कुमार	बैकलॉग स्थाई सफाई कर्मचारी	अधिशासी अधिकारी कार्यालय सहायक
6	श्री विनोद कुमार	बैकलॉग स्थाई सफाई कर्मचारी	पालिका करों की वसूलीकर्ता
7	श्री वसीम	बैकलॉग स्थाई सफाई कर्मचारी	पालिका करों की वसूलीकर्ता
8	श्री मुनीश कुमार	बैकलॉग स्थाई सफाई कर्मचारी	अधिकृत सफाई पर्यवेक्षक
9	श्री ब्रजपाल सिंह	बैकलॉग स्थाई सफाई कर्मचारी	कार्या0 स0 नायक
10	श्री हरपाल सिंह	बैकलॉग स्थाई सफाई कर्मचारी	पालिका वाहन चालक

Shakil

Scanned with OKEN Scanner

11	श्री सतेन्द्र कुमार	बैकलॉग स्थाई सफाई कर्मचारी	पालिका के वाद विवादों की पैरवी हेतु
12	श्री अमित चौटाला	स्थाई सफाई कर्मचारी	कार्य0 स0 नायक
13	श्री सोहनवीर सिंह	संविदा सफाई कर्मचारी	कार्य0 स0 नायक
14	श्री अमित कुमार पार्चा	संविदा सफाई कर्मचारी	कार्य0 स0 नायक
15	श्री मोहन कुमार	संविदा सफाई कर्मचारी	कार्य0 स0 नायक

का प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।

प्रस्ताव संख्या 7 (14) :–

वार्ड सदस्यों द्वारा अपने–अपने वार्ड में विकास कार्य हेतु दिये गये प्रस्ताव पत्रों पर विचार एंव आदेश बोर्ड।

सदन में वार्ड सदस्यों द्वारा अपने अपने वार्ड में दिये गये विकासात्मक कार्यों को सदन के समक्ष रखा गया, जिसमें श्री शहजाद सदस्य द्वारा श्रीमति कविता, सदस्य जोकि उक्त बैठक में उपस्थित नही है, उनके द्वारा दिये गये प्रस्ताव को सदन के समक्ष रखा गया। श्रीमती कविता सदस्य द्वारा अपने वार्ड में विकासात्मक कार्य हेतु निम्नानुसार कार्य कराने हेतु प्रस्ताव में उल्लेख किया गया है–

श्री योगेन्द्र सिंह के प्रार्थना की मॉग अनुसार डम्पिंग ग्राउण्ड व बन्धन बैंक के पास विक्की सैनी के मकान से विजय गुगलानी के मकान तक इन्टरलॉकिंग टाईल्स व नाली निर्माण हेतु प्रस्ताव पास कर जनहित में कार्य कराये जाने का प्रस्ताव दिया गया

उक्त के अतिरिक्त संबधित सदस्य दूसरे प्रस्ताव पत्र में उल्लिखित करते हुए 02 बिन्दुओ के अनुसार मॉग की है कि जिसमें बिन्दु संख्या 1– मे उल्लिखित किया है कि जैसा की आपके संज्ञान में भी है कि पूरे नगर की पानी की निकासी हेतु एक ही नाला है, जो मेरठ मुख्य मार्ग से होता हुआ हिडंन नदी में गिरता है, वर्षा होने से बिनौली रोड व तहसील रोड दोनों नाले पुलिस चौकी के पास मेरठ मार्ग पर एक दुसरे के सापेक्ष जल बहने से दोनों नालों के जल आपस में टकराव होने के कारण जल वापस होता रहता है ओर जल सुचारू रूप से नही बहता है। इस अवरूद्ध समस्या के सामाधन हेतु बिनौली रोड से आने वाले नाले को मेरठ के मुख्य मार्ग पर पश्चिम दिशा में एक नाला बनाकर इस समस्या से जल भराव की अधिकांश समस्या समाप्त हो जायेगी किन्तु उक्त क्षेत्र सीमा क्षेत्र से बाहर होने के कारण विहित प्राधिकारी की स्वीकृति अनिवार्य है।

अतः अधिनियम 1916 की धारा–212 के तहत विहित अधिकारी श्रीमान जिलाध्किारी की स्वीकृति अविलम्ब लेते हुए स्वीकृत उपरान्त उक्त नाले का निर्माण की कार्यवाही करने की कृपा करें व बिन्दु संख्या 02 में उल्लिखित किया गया है कि शासनादेश संख्या 70 यू0 ओ–7–15–27 सा0 / 2015 दिनांक 14.12.2015 के अनुसार सीमा क्षेत्र से 5 मील के दूरी तक शमशान घाट में निर्माण कराया जा सकता है अतः जुलेढ़ा रोड स्थित व नंगला रोड स्थित दोनों शमशान घाटों के निर्माण कार्य हेतु स्टीमेट बनवाकर शासन को भेजने की कृपा करें।

Scanned with OKEN Scanner

	इसी प्रकार संबधित सदस्य द्वारा अतिरिक्त दिये गये प्रार्थना पत्र 09 बिन्दुओ के प्रस्ताव मे निम्नानुसार मॉग की है 1 – मेरे वार्ड में गोमती नगर से दौराला रोड पर मुख्य नाले का व नाले की पटरी व गलियों में सडको व नालियो का निर्माण आवश्यकतानुसार चैनल सहित कराया जाये। उक्त नाला व सडक जनहित मे बेहद आवश्यक है । 2 – सीमा क्षेत्र से बाहर लगी लाईटो को पालिका द्वारा हटवाकर पालिका में रखा गया है। उक्त लाईटों को मरम्मत कराकर पोल सहित दौराला रोड पर स्थित शमशान घाट से लेकर पुलिस चौकी तक लगवाये जाये। 3 – शमशान घाट की चार दीवारी कराई जाये तथा शमशान घाट में लगाये गये पेडो को प्रतिदिन पानी दिलाने की कार्यवाही कि जाये तथा शमशान घाट की खरपतवार की सफाई कराई जाये तथा एक केयर टेकर भी रखा जाये। 04 – अत्याधिक वर्षा के होने के कारण मच्छर अधिक हो गया है। जिससे जनमानसों मे बीमारी का खतरा बना हुआ हैं बुखार भी अपनी चरम सीमा पर है। किन्तु अभी भी पालिका द्वारा फॉगिग नही कराई है । अतः मेरे वार्ड सहित पूरे नगर के अविलम्ब फोगिंग करायी जाये तथा सभासदों से फोगिग के उपरान्त संस्तुति ली जाये। 05 – मेरे वार्ड में लगभग 10 पौधो/पेडो की अति आवश्यकता है। पूर्व में भी कई बार प्रस्ताव दिया गया है किन्तु प्रस्ताव के क्रम में अभी तक ट्री गार्ड सहित पौधे नही लगवाये गये जबकी जहॉ प्रस्ताव ही पास नही है। वहॉ पर ट्री गार्ड सहित पेड लगवा दिये गये है । अतः सडके बनने से पूर्व ही शमसान घाट के मुख्य मार्ग पर व दौराला रोड पर व पुलिस चौकी के पास पुलिस कर्मियों के बने क्वार्टरो के पास व मौ0 गढी खटीकान में आवश्यक्तनुसार पेड लगवाने की कार्यवाही की जाये। 06 – मौ0 गढ़ी खटीकान में सामाजिक धर्मशाला के निर्माण कार्यो का प्रस्ताव पूर्व मे पास है । स्टीमेट भी बना हुआ है। अतः शीघ्र ही जनहित मे उक्त कार्य का टेण्डर पालिका निधि से कराकर निर्माण कराया जाये। 07 – पुलिस चौकी के पास स्थित शौचालय के पीछे पालिका भूमि पर जनहित हेतु अम्बेडकर हॉल का निर्माण कार्य कराया जाये । 08 – मौ0 गढी खटीकान मे स्थित कुआं व मन्दिर में समाजिक हित हेतु कुऐ का सौन्दर्यीकरण कराया जाये व टिन शैड लगवाया जाये। 09– दौराला रोड पर मकबरा मस्जिद के पास पुलिया का निर्माण कार्य आगंणन के अनुसार पूर्ण हो गया है, रैम्प का अवशेष कार्य शीघ्र कराया जाये। उक्त पर सदन में चर्चा उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि वार्ड सदस्य की मांग के क्रम में दौराला रोड पर मकबरा मस्जिद के पास पुलिया का निर्माण कार्य आगंणन अनुसार पूर्ण होने पर बैठक में उपस्थित अवर अभियंता द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त पुलिया के निर्माण हेतु पूर्व में निविदा आमंत्रित कर कार्य कराया गया है किन्तु मौका स्थल पर पुलिया को आवश्यकतानुसार उच्चीकृत कराने पर अनुबंध अनुसार कार्य पूर्ण होने पर रैम्प आदि कार्य हेतु पृथक से

Shalish

Scanned with OKEN Scanner

	निविदा प्रक्रिया की जानी है,जिस पर सदन में चर्चा उपरांत उक्त पुलिया पर रैम्प आदि के अवशेष कार्य का आगंणन तैयार कराते शीध्र अति शीध्र प्राथमिकता के आधार पर इस अवशेष कार्य को कराने हेतु निविदा आमंत्रित करते हुए कार्य कराये जाने का प्रस्ताव सर्व सम्मति से स्वीकृत करते हुए अन्य प्रस्ताव में उल्लिखित नियमानुसार सीमा क्षेत्र से बाहर नाले के निर्माण व अन्त्येष्टि स्थल के निर्माण हेतु यथा आवश्यक कार्यवाही की जाये तथा सदस्य द्वारा उक्त पुलिया के अवशेष कार्य के अतिरिक्त जो निर्माण कार्यों के साथ–साथ अन्य जो कार्य कराने हेतु मॉग की है,उन कार्यो की आावश्यकता को चिंहित करते हुए ऐसे कार्यो हेतु धनराशि की उपलब्धता के आधार पर कराने के लिए प्राथमिकता का निर्धारण कर कार्य कराया जाये । **श्रीमती शगुफ्ता अंसारी सदस्य द्वारा दिया गया प्रस्ताव –** 1. वसीम के मकान से कैलाश के मकान तक नाली निर्माण कार्य व सी0सी0 रोड का निर्माण कराया जाये। 2. फम्मू मिस्त्री के मकान से शेरबानों के मकान तक नाली एवं सी0सी0 रोड का निर्माण कराया जाये। 3. मौहल्ला छावनी में नंगला रोड पर कादिर के मकान से नाईयों के मकान तक टाईल्स वाली सडक का निर्माण कराया जाये। 4. नंगला रोड पर एक पुलिया शिया बाग कि बस्ती में टूटी हुई है उस पुलिया की मरम्मत करायी जाये। 5. साजिदा के मकान से सनव्वर के मकान तक भराव एवं सडक का निर्माण कराया जाये। 6. नंगला रोड अब्दुल हमीद नगर छावनी में विभिन्न गलियों भराव कराकर निर्माण कार्य कराया जाये। 7. मौहल्ला छावनी आंशिक कालन्दरोड शाहिद के मकान से बाहर तक नाली व सड़का का निर्माण कराया जाये। 8. मौ0 छावनी आंशिक कालन्द रोड शाहिद के मकान से इरशाद के मकान तक सी0सी0 रोड एवं नालियों का निर्माण कार्य कराया जाये। 9. मौ0 छावनी वार्ड 6 में 20 स्ट्रीट लाईटों के प्वाईंट बनाये जाये। 10. वार्ड में वीर अब्दुल हमीद पार्क का सौन्दर्यीकरण कराया जाये व 300 फिट का तिरंगा झण्डा स्थापित किया जाये। **श्रीमती राहत परवीन सदस्य द्वारा दिया गया प्रस्ताव –** 1. लालकुआं से लेकर अकरम खलीफा के मकान तक सी0सी0 सडक व नाली निर्माण कराया जाये। 2. बैरून सराय में झोड वाली गली में हाजी अब्दुल सलाम उर्फ छम्मों खां के मकान से तालाब के नाले तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कराया जाये। 3. मौ0 सराय अफगानान में बैरून सराय चौक से मौलाना महताब के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कराया जाये। 4. मौ0 बैरून सराय में अनीस गिफ्ट सेन्टर से जुलफिकार उर्फ भुटटो खा के मकान तक सी0सी0 सडक व नाली निर्माण कार्य कराया जाये।

Shahid

Scanned with OKEN Scanner

	5. मौ0 बैरून सराय चौक से ऊंचापुरत क सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य कराया जाये। **श्री संजय कुमार, सदस्य द्वारा दिया गया प्रस्ताव –** 1. मौ0 आदर्शनगर की एक आर0सी0सी0 गली व एक आबचक जैन मन्दिर के बराबर में इसको बनवाया जाये। 2. वार्ड के अन्दर लाईटों की बहुत समस्या है इनकी भी पूर्ति करायी जाये। **श्री शकील अहमद, सदस्य द्वारा दिया गया प्रस्ताव –** 1. मनोज जैन से कैलाशी तक की गली बनेगी। 2. पंकज जैन वाली गली बनेगी। 3. एनूदीन शाह वाली गली बनेगी। 4. डा0 बालेश्वर त्यागी से अली शह तक सडक बनेगी। 5. कालन्द चुंगी से गुड़मण्डी तक सडक बनेगी। 6. कोठी के रास्ते व खम्बे लगेगे। 7. प्रभातनगर की गलियां बनेगी। 8. राकेश पटवारीव नईम वाली गली बनेगी। 9. मेरे वार्ड में लाईटें लगेगी। 10. सिराज केक वाली गली बनेगी। 11. मेरी दुकान के बराबर वाला बनेगा। **श्रीमती तनिका जैन, सदस्य द्वारा दिया गया प्रस्ताव –** 1. दीपक फर्नीचर से लेकर अन्दर चौक तक सी0सी0 सडक बनवायी जाये। 2. जामुन के पेड़ से लेकर हिमालय हास्पिटल तक जहां काफी पानी भर जाता है वहां कराया कराया जाये। 3. बिनौली रोड की पुलिया बनवायी जाये। 4. वार्ड में स्ट्रीट लाईटें ठीक एवं नई लगवायी जाये। 5. बूढा बाबू मन्दिर के नाम से एक द्वार बनाया जाये। 6. पाण्डुशिला रोड पर आचार्य विद्यासागर एक अग्रसैन मित्र द्वार पर अधूरा पडा निर्माण कार्य पूर्ण कराया जाये। 7. बिनौली रोड से लेकर पाण्डुशिला तक नाला निर्माण होना है। **श्री हाजी मन्नान, सदस्य द्वारा दिया गया प्रस्ताव –** मौ0 भुलरिया कुरेशियान मस्जिद के पीछे जो समरसेबिल लगा हुआ है उसका वाटर लेबिल खराब हो गया है उसे मजिस्द कुरेशियान के गेट के पास लगवाने की कृपा करें। **श्री मौ0 फरमान, सदस्य द्वारा दिया गया प्रस्ताव –** 1. गोमतीनगर में बल्ली के मकान से मास्टर युसूफ के मकान तक गली में टाईल्स लगवाने की मॉग की गयी है। **श्री शहजाद सितारा, सदस्य द्वारा दिया गया प्रस्ताव –** 1. कालन्द चुंगी कब्रिस्तान के कोने पर पालिका की भूमि से अतिक्रमण हटवाते हुए शुद्ध पेयजल हेतु प्याऊ बनवाया जाये। 2. वार्ड 13 में विभिन्न गलियों में सड़कों को गडढामुक्त कराने हेतु सड़कों व नाली की मरम्मत करायी जाये। 3. स्ट्रीट लाईटों की व्यवस्था करायी जाये।

Shalila

	श्रीमती नेहा जैन उर्फ नेहा टाली, सदस्य द्वारा दिया गया प्रस्ताव – 1. पाण्डुशिला रोड पर नव निर्मित अधूरा पडा आचार्य विद्योदय अग्रसैन द्वार का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जाये। 2. आनन्द चौहान से लेकर पंडित जी के मकान तक सडक काफी गहराई होने से जलभराव की समस्या है इस सडक को भराव कर निर्माण कार्य कराया जाये। 3. गांधीनगर पार्क को वर्टिकल पार्क के रूप में विकसित कराया जाये। 4. भूमिया माता मन्दिर में बैंच व अन्य निर्माण कार्य कराया जाये। 5. शहीद द्वार से लेकर अशोक स्तम्भ तक डिवाईडर पर जाली लगवाकर लाईट लगवाने की कृपा करें। **श्री मुकेश, सदस्य द्वारा दिया गया प्रस्ताव –** 1. मौ0 भाटवाडा में विभिन्न गलियों में मरम्मत का कार्य कराया जाये। 2. भाटवाडा की विभिन्न गलियों में लाईट के नये प्वाईन्ट बनवाकर लाईट लगवायी जाये। 3. दलित बस्ती में नाले के ऊपर जाल लगवाया जाये। 4. डा0 भीमराव अम्बेडकर पार्क के बराबर में नाला कवर कराया जाये। 5. खम्बों पर कैमरे की सुविधा करायी जाये। 6. डा0 भीमराव अम्बेडकर पार्क के कोने से कूडे का स्थान बदनवाकर अन्य स्थान निर्धारित किया जाये। 7. डा0 भीमराव अम्बेडकर भवन का पुनः निर्माण कराया जाये जो कि जर्जर हालत में है। 8. दलित बस्ती में नाले के पुल पर फ्रिज लगवाया जाये। 9. शिव मन्दिर पर फ्रिज लगवाया जाये। 10.भाटवाडा कुम्हारान पुल के पास फ्रिज लगवाया जाये। 11.सडक निर्माण सुदेशपाल एडवोकेट नाले के पुल से रेखा मैडिकल स्टोर तक सडक बनवायी जाये। 12.सन्त जोजफ डिग्री कॉलिज से मौहल्ला भाटवाडा ट्रांसफार्मर तक सडक के दोनो ओर पेडो की छटाई कराये जाये 13.मौहल्ला भाटवाडा की आशिंक गलियो में मैन रास्तो पर प्रकाश व्यवस्था कराये जाये 14.हरपाल के मकान से विपिन पुत्र पीतम के मकान तक अधूरी पडी नाली का निर्माण कराया जाये। 15.इन्द्रू, डॉक्टर संजय की गली का निर्माण कराया जाये। 16.अम्बेडकर पार्क में प्रकाश व्यवस्था ठीक करायी जाये। 17.वार्ड 4 में नालियों का कूडा उठाने के लिए ठेली की व्यवस्था करायी जाये। 18.वार्ड 4 मं लगे हुए कर्मचाारियो को झाडू व फावडी तसला आदि उपलब्ध कराये जाये 19.हरिजन बस्ती की नाले की पुलिया को बनवाया जाये। 20.अम्बेडर पार्क में मोटर खराब है,ठीक कराये जाये 21.पार्क में कुछ सुखे पेड के स्थान पर नये पेड लगवाये जाये

Shalini

Scanned with OKEN Scanner

श्री मोहम्मद खालिद, सदस्य द्वारा दिया गया प्रस्ताव –

01 – वार्ड 17 मे अली मौहम्मद के मकान से इकबाल के मकान तक टाउन हाल रोड पर नाली व सडक का निर्माण भराव सहित कराया जाये।

02 – वार्ड 17 गोमती नगर के गेट से रजवाहे तक इण्टर लाकिंग सडक व नाली निर्माण कार्य कराया जाये।

03 – वार्ड 17 से मे 30 नई पाईट पर लाईटे लगवाई जाने लाईट लगाने के लिये नई पोल व चटकनी डेरी लाईट सभी सामान मंगाया जाये।

04 – तीन फ्रिज लगवाये जाये।

05 – पशु चिकित्सालय वाली सडक का निर्माण नाली सहित किया जाये

06 – टाउन हाल रोड पर लतीफ के मकान से सराफत के मकान तक सी0सी0 सडक व नाली निर्माण किया जाये

श्री इमरान, सदस्य द्वारा दिया गया प्रस्ताव –

01– मेरे वार्ड की विभिन्न गलियो मे सडको को गढढा मुक्त कराने हेतु सडकों की तथा नालियों की मरम्मत कराई जाये।

02 – होली चौक से महरदीन के मकान तक सडक निर्माण व नाली का निर्माण कार्य कराया जायें। यह भी संज्ञान मे लाना है कि उक्त मुख्य मार्ग पर तीन मस्जिद एक कब्रिस्तान बी0एस0ए0 कार्यालय व आर0एस0एस0 कर्यालय व होली चौक है। जिससे उक्त सडक के अत्यधिक क्षतिग्रस्त के कारण जनता को आवागमन मे बहतु अधिक परेशानियों का सामना करना पड रहा है । अतः अविलम्ब उक्त सडक कार्य कराया जाये।

03 – मेरे वार्ड में कब्रिस्तान में मिट्टी भराव कार्य गेट दीवारों के ऊपर लोहे के ईंगल सहित तारबन्दी व रंगाई पुताई कराई जाये।

उक्त प्रस्तावों पर सदन को अवगत कराया गया कि वर्तमान में पालिका में राज्य वित्त आयोग/पालिका निधि के अन्तर्गत कार्य कराये जाने हेतु पर्याप्त धनराशि नहीं है जिस कारण उपलब्ध कराये गये प्रस्तावों पर कार्य कराया जाना सम्भव नहीं है, जिस को दृष्टिगत रखते हुए सदन में चर्चा उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि मा0 सदस्यों द्वारा दिये गये विकास कार्यों के प्रस्ताव में अति आवश्यक कार्य को चिन्हिंत करते हुए अति आवश्यक कार्य ही राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से धनराशि की उपलब्धता के आधार पर कार्य कराये जाये तथा साथ ही साथ सदन में चर्चा उपरान्त सहमति बनी कि नगर में यदि कहीं भी सडक में कोई गडढा अथवा कोई नाली अथवा नाला क्षतिग्रस्त होता है या पेयजलापूर्ति में समसेबिल अथवा कोई समरसेबिल पम्प, पैनल, आदि खराब होता है या किसी कीटनाश्क दवा आदि की आवश्यकता होती है तो समरसेबिल

	रिबोर/हैण्डपम्पों/पालिका वाहनों की मरम्मत की समस्या उत्पन्न होती है या कहीं पर अति आवश्यक निर्माण कराया जाना आवश्यक होता है, तो ऐसे कार्यों को चिन्हिंत करते हुए पालिका अवर अभिंयता से आंगणन बनवाकर उन्हें प्राथमिकता के आधार पर तुरन्त कराया जाये व उपरोक्त अन्य कार्यों पर कार्यवाही के लिए सर्वसम्मति से अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष को अधिकृत किया गया।

अन्त में सभी को धन्यवाद देते हुए सभा समाप्त की गयी।

अध्यक्ष,
नगर पालिका परिषद,
सरधना (मेरठ)

Scanned with OKEN Scanner